इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि निलंबन की अवधि कर्तव्य पर खर्च की गई मानी जाएगी और वह वेतन के पूर्ण बकाया का हकदार होगा।उन्हें रुपये का भुगतान करके और मुआवजा दिया जाएगा। 25, 000 उस लंबी कार्यवाही के कारण जिसका उन्होंने सामना किया है।

(13) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

आर. एन. आर

माननीय *एन. के. अग्रवाल* के समक्ष,

बी. के. *अग्रवाल-याचिकाकर्ता*

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य,-उत्तरदाता

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11966

12अक्टूबर, 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भारतीय *दंड संहिता, 1860-धारा 409-1995 में,* बैंक *द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में उसे बचत खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के लिए निलंबित कर दिया गया-1997 में, सीजेएम ने याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोप लगाया-उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की-क्या समान आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही* दोनों *एक साथ चलती हैं-आयोजित, नहीं-अनुशासनात्मक कार्यवाही को आपराधिक मुकदमे के समापन तक रोकने का आदेश दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक मामले के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही समान आरोपों पर आधारित हैं।बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिस को मामले की सूचना दी।दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य की प्रकृति भी समान होगी, हालाँकि प्रमाण का मानक वास्तव में अलग-अलग हो सकता है।आपराधिक मुकदमे में सबूत का मानक अधिक सख्त होगा।एफ. आई. आर. 31 अक्टूबर, 1995 को दर्ज की गई थी, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र याचिकाकर्ता को 18 दिसंबर, 1997 को दिया गया है।इन परिस्थितियों में, यह उचित पाया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकती है।याचिकाकर्ता को एक ही तथ्यों और आरोपों से जुड़ी दो अनिश्चित कार्यवाही का सामना करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।दोनों कार्यवाहियों में तय किए जाने वाले प्रश्न प्रतीत होते हैं।लगभग समान।इन परिस्थितियों में, आपराधिक मुकदमे के समापन तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना न्यायसंगत और उचित होगा।

एस. के. मित्तल, *याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।*

आई. पी. एस. *दोआबिया, प्रतिवादीगण के लिए अधिवक्ता।*

निर्णय

न्यायमूर्ति एन. के. अग्रवाल,

(1)यह संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को तब तक रोकने के लिए कहा गया है जब तक कि उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे में निर्णय नहीं हो जाता।

(2) याचिकाकर्ता वर्ष 1972 में भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के रूप में सेवा में शामिल हुआ।उन्हें वर्ष 1980 में जूनियर मैनेजमेंट, ग्रेड स्केल I के अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।वह वर्ष 1995 में बैंक की रेवाड़ी शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, अगस्त से अक्टूबर 1995 की अवधि के दौरान कुछ बचत खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकाले गए थे।इस तरह की निकासी रु। 2,28,500।पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 30 अक्टूबर, 1995 को धारा 409 आई. पी. सी. के तहत एक एफ. आई. आर. दर्ज किया था। वह रिपोर्ट सहायक महाप्रबंधक श्री एच. के. बेनाल द्वारा दर्ज की गई थी।

(3) याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके द्वारा कथित रूप से किए गए कुछ इकबालिया बयानों के आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।दरअसल, 30 अक्टूबर, 1995 को रेवाड़ी से उनका अपहरण कर लिया गया था और उन्हें पीटा गया था।उन्हें इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।उनकी पत्नी ने 31 अक्टूबर, 1995 को एफ. आई. आर. दर्ज कराया।उन्हें 17 नवंबर, 1995 को निलंबित कर दिया गया था।उन्हें 2 फरवरी, 1996 को अग्रिम जमानत दी गई थी।चालान 1 मार्च, 1996 को अदालत में रखा गया था।रेवाड़ी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 8 सितंबर, 1997 को उनके खिलाफ धारा 409 आई. पी. सी. के तहत आरोप तय किए।विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को 18 दिसंबर, 1997 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था।उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही में दिए गए आरोप पत्र पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।

(4) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि एफ. आई. आर. और विभागीय आरोप पत्र में आरोप समान हैं।दोनों एक ही तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित हैं।याचिकाकर्ता आपराधिक मामले में अपना बचाव करेगा।उन्होंने उप महाप्रबंधक, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, को लिखा कि वह विभागीय आरोप पत्र में अपना जवाब जमा करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह आपराधिक मामले में उनके कानूनी अधिकारों को प्रभावित करेगा।उन्होंने बताया कि वह आपराधिक मुकदमे में खुलासा करने से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपने बचाव का खुलासा नहीं करना चाहते थे।इसलिए उन्होंने अनुशासनात्मक प्राधिकरण से इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया

आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय तक विभागीय कार्यवाही।अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच पर रोक नहीं लगाई है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि यदि याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपराधिक मामले में उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने अभी तक आपराधिक मामले में अपने बचाव का खुलासा नहीं किया है।जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को अपना बचाव पेश करने का निर्देश दिया है जिसमें विफल रहने पर विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।याचिकाकर्ता ने 7 मार्च, 1998 को एक अभ्यावेदन भेजा जिसमें कहा गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है।चूंकि उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता आवश्यक राहत के लिए इस अदालत में आया है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कुशेश्वर दुबे बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा *किया है।* मेसर्स *भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (1) ।यह निम्नानुसार* आयोजित किया गया हैः—

> "इस न्यायालय के तीन मामलों में व्यक्त विचार इस स्थिति का समर्थन करते प्रतीत होते हैं कि एक साथ कार्यवाही करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं हो सकती है, फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आपराधिक मामले के निपटारे की प्रतीक्षा में अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्थगित करना उचित होगा।बाद के वर्ग के मामलों में अपराधी-कर्मचारी के लिए अदालत से स्थगन या निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश की मांग करना खुला होगा।किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तरह की समवर्तीता होनी चाहिए या नहीं, इस पर न्यायिक विचार किया जाएगा और न्यायालय किसी विशेष मामले की दी गई परिस्थितियों में निर्णय लेगा कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही को आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने तक बाधित किया जाना चाहिए।जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि व्यक्तिगत स्थिति की विशिष्टताओं को ध्यान में रखे बिना सभी मामलों और सामान्य अनुप्रयोग के लिए मान्य एक कठोर और तेज़, सीधे-जैकेट सूत्र विकसित करना न तो संभव है और न ही उचित है।वर्तमान मामले के निपटारे के लिए, हम कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, विशेष रूप से जब हम कोई सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित करने का इरादा नहीं रखते हैं।"

(7) सर्वोच्च न्यायालय को फिर से राजस्थान राज्य बनाम बी. के. मीणा और अन्य *(2) में इसी* तरह *के मामले की जांच करने* का अवसर मिला।उस मामले में यह देखा गया कि आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही में दृष्टिकोण और उद्देश्य पूरी तरह से अलग और अलग थे।अनुशासनात्मक कार्यवाही में सवाल यह था कि क्या

प्रत्यर्थी ऐसे आचरण का दोषी है जो उसे सेवा से हटाने या कम सजा के योग्य हो, जैसा भी मामला हो।जबकि आपराधिक कार्यवाही में सवाल यह था कि क्या भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (और भारतीय दंड संहिता, यदि कोई हो) के तहत उसके खिलाफ दर्ज अपराध स्थापित हैं और यदि स्थापित किया जाता है तो उस पर क्या सजा दी जानी चाहिए।

(1) A.I.R. 1988 SC 2118
(2)1996 (4) RSJ 402

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने, उपरोक्त दो फैसलों के बल पर, प्रस्तुत किया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में, आपराधिक मामला बैंक के सहायक महाप्रबंधक के अलावा किसी और द्वारा शुरू नहीं किया गया है।तथ्य आपराधिक मामले के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही में भी समान हैं।चूँकि आरोप बिल्कुल अलग नहीं हैं और बचत खातों से निकासी से संबंधित हैं, इसलिए याचिकाकर्ता का बचाव न केवल पूर्वाग्रहपूर्ण होगा, बल्कि दोनों कार्यवाहियों में तय किया जाने वाला प्रश्न समान हो सकता है।

(9) प्रतिवादी के विद्वान वकील-दूसरी ओर, बैंक ने तर्क दिया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है।याचिकाकर्ता ने बैंक के ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया था।आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही दोनों एक साथ चल सकती हैं।श्री एन. शिवलिंगैया बनाम कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य (3) मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले *पर विद्वान वकील* द्वारा *रिलायंस को रखा गया है।उस मामले में यह देखा* गया कि पुलिस द्वारा जांच पूरी नहीं हुई थी और न ही कोई आरोप पत्र दायर किया गया था।केवल आपराधिक मामले के लंबित होने को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के खिलाफ बाधा नहीं कहा गया था।यह आगे देखा गया कि जाँच में कानून और तथ्यों का कोई जटिल प्रश्न शामिल नहीं था।इसलिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक को उचित नहीं कहा गया।

(10) इस अदालत की एक खंड पीठ को भी आर. एन. यादव, एकाउंटेंट, शाहाबाद मार्कंडा, हरियाणा बनाम *में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करने* का *अवसर मिला था। हरियाणा राज्य और* अन्य (4)।उस मामले में यह देखा गया था कि आपराधिक दंड संहिता की धारा 161 के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान जांच के दौरान पहले ही दर्ज किए जा चुके थे।यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराधी अधिकारी का हित अनुशासनात्मक कार्यवाही के त्वरित समापन में भी निहित है।यह आदेश दिया गया कि घरेलू जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए।

(11) विवाद पर विचार करने पर, यह पाया जाता है कि आपराधिक मामले के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही समान आरोपों पर आधारित हैं।एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

---

(3) 1996 (2) SLR 602
(4) 1997 (2) RSJ 551

बैंक का अधिकारी।दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य की प्रकृति भी समान होगी, हालाँकि प्रमाण का मानक वास्तव में अलग-अलग हो सकता है।आपराधिक मुकदमे में सबूत का मानक अधिक सख्त होगा।इस मामले में तथ्यों के साथ-साथ कानून के सवाल भी शामिल हैं।एफ. आई. आर. 31 अक्टूबर, 1995 को दर्ज की गई थी, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र 18 दिसंबर, 1997 को याचिकाकर्ता को दिया गया है।इन परिस्थितियों में, यह उचित पाया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकती है।याचिकाकर्ता को एक ही तथ्यों और आरोपों से जुड़ी दो अनिश्चित कार्यवाही का सामना करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।दोनों कार्यवाहियों में तय किए जाने वाले प्रश्न लगभग समान प्रतीत होते हैं।इन परिस्थितियों में, आपराधिक मुकदमे के समापन तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना न्यायसंगत और उचित होगा।

(12) परिणामस्वरूप यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासन कार्यवाही आपराधिक मुकदमे के समापन तक रुकी रहेगी।कोई लागत नहीं।

एस. के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा

जवाहर लाई गुप्ता और वी. एम. जैन से पहले, जे. जे.
हरियाणा राज्य,-याचिकाकर्ता
बनाम
राम किशन,-अभियुक्त/प्रतिवादी
1998 का हत्या संदर्भ संख्या 2

(Para 25)

17दिसंबर, 1999

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. एस. *शस्त्र अधिनियम, 1950-एस. 25* और *27-एक गर्भवती महिला सहित परिवार के पांच निहत्थे और निर्दोष सदस्यों की हत्या के लिए अभियुक्त को मृत्युदंड देने वाली निचली अदालत-क्रूर और कठोर अपराध-एफ. आई. आर. दर्ज करने में कोई अनुचित या अस्पष्ट देरी नहीं-बिना लाइसेंस के अभियुक्त से बंदूक की बरामदगी जिसका उपयोग अपराध के लिए किया गया था-अभियोजन का मामला विधिवत स्थापित-अपील खारिज-मौत की सजा की पुष्टि-सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि भी बरकरार रही।*

माना जाता है, वह उद्देश्य आमतौर पर एक दोधारी हथियार होता है।यदि किसी व्यक्ति का हत्या करने का उद्देश्य है, तो दूसरे पक्ष का गलत तरीके से फंसाने का उद्देश्य हो सकता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि राम किशन को शिकायतकर्ता पक्ष से नाराज होने का कारण था।उन्होंने पूरे परिवार का वस्तुतः सफाया करने का चरम कदम उठाया था।हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि शिकायतकर्ता पक्ष के पास अपराधी को छोड़ने या राम किशन को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण था।

(Para 26)